<u>न्यायालयः–प्रधान न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर (म.प्र.)</u>
<u>(समक्ष–आर.के.जैन)</u>

एमजेसी 205 / 2022

संजना–––– प्रार्थी

<u>विरूद्व</u>

दीपक ––– प्रतिप्रार्थी

आदेश दिनांक 20.05.2024

प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता।

प्रतिप्रार्थी सहित अधिवक्ता।

प्रकरण प्रार्थी की शेष साक्ष्य एवं अंतिम तर्क हेतु नियत है। प्रार्थी ने कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया। उभयपक्ष के अंतिम तर्क सुने गये।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से धारा 126 (2) द.प्र.सं. के अधीन इस आशय का पेश किया गया कि कोविड महामारी के कारण दिनांक 19.04.2021 को न्यायालय में कार्य नहीं होने के कारण प्रकरण दिनांक 24.08.2021 को नियत किया गया किंतु प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी और प्रकरण प्रार्थी की उपस्थिति एवं प्रार्थी साक्ष्य हेतु दिनांक 08.11.2021 को नियत किया गया और दिनांक 08.11.2021 को प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण समाप्त कर दिया गया। उक्त आधार पर प्रार्थी की त्रुटि को क्षमा कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रतिप्रार्थी की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया तथा प्रकट किया गया कि प्रार्थी की लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रकरण निरस्त किया गया है। प्रार्थी स्वयं नौकरी कर रही है। प्रार्थी वर्ष 2018 से ही प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेने में गंभीर नहीं रही है। प्रार्थी चाहे तो पृथक से धारा 125 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही कर सकती है। उक्त आधार पर आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मूल अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी की ओर से धारा 125 द.प्र.सं. के अधीन भरण पोषण याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 08.11. 2021 को उसके अनुपस्थित रहने के कारण निरस्त की गई है। प्रार्थी की ओर से अनुपस्थिति का यह कारण बताया है कि उक्त अवधि में कोविड महामारी के कारण

वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी।

प्रार्थी की ओर से अनुपस्थिति का जो कारण बताया गया है, वह सद्भाविक प्रतीत होता है। इस प्रक्रम पर प्रतिप्रार्थी की ओर से यह आपत्ति की गई है कि प्रार्थी ने जानबूझकर अनुपस्थित रहकर प्रकरण निरस्त करा लिया है, अब यदि उसके पक्ष में आवेदन दिनांक से भरण पोषण का आदेश दिया गया तो प्रतिप्रार्थी पर अनावश्यक रूप से आर्थिक भार पड़ेगा। प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रकट की गई उक्त आपत्ति इस प्रक्रम पर निराकरण किये जाने योग्य नहीं है, वरन् प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर निराकरण के समय उक्त आपत्ति पर विचार किया जावेगा।

चूंकि प्रतिप्रार्थी गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण कराना चाहती है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 126(2) द.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण एमजेसी 304/2018 को पुनर्स्थापित कर नम्बर पर किया जाता है। इस एम.जे.सी प्रकरण क्रमांक 205/2022 की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार जमा किया जावे।

सही/–

(आर.के.जैन)

प्रधान न्यायाधीश के अति.न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर म.प्र.